भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4874
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

मछुआरों का पुनर्वास

4874. प्रो. सौगत राय:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2004 की सुनामी के बीस साल बाद भी देश भर में हजारों मछुआरों का समुचित पुनर्वास नहीं हो पाया है और यदि हां, तो अभी तक जिन मछुआरों का समुचित पुनर्वास नहीं हो पाया है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संबंधित अधिकारी देश के प्रभावित मछुआरों का पुनर्वास करने में पूरी तरह विफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई गैर-लाभकारी संगठनों ने प्रभावित मछुआरों के लिए घटिया स्तर के घर बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2004 के सुनामी से प्रभावित देश के मछुआरों के समुचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को मत्स्यन और मात्स्यिकी (अंतर्देशीय, समुद्री और टेरिटोरियल वाटर्स से आगे) तथा इससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास करने का दायित्व सौंपा गया है, जिसमें मछुआरों और अन्य मछुआरों-समूह का कल्याण और उनकी आजीविका को मजबूत करना शामिल है। इस प्रयास के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार मछुआरों और मत्स्य किसानों के कल्याण, उनकी आजीविका को मजबूत करने और रोजगार सृजन आदि सहित मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाने वाली गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम (जीएआईएस), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता, सी वीड कल्टिवेशन सहित मरीकल्चर, ओपेन सी केज कल्चर, बाइवाल्व कल्टिवेशन, ओरनामेन्टल फिशरीज़, पारंपरिक मछुआरों के लिए बोट्स और नेट्स, वेसेल्स कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, डीप सी फिशिंग वेसेल्स, फिशिंग वेसेल्स का उन्नयन आदि जैसी वैकल्पिक/अतिरिक्त आजीविका गतिविधियाँ शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत मछुआरों और तटीय समुदायों को प्रदान की जाने वाली सहायता से तटीय मछुआरा समुदायों पर जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव और वल्नेरबिलिटी को कम करने में सहायक है ।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों पर है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित रसद (लॉजिस्टिक्स) और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें सुनामी सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन करती हैं और भारत सरकार के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार उनके पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है, जिसके अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान की जा रही है। 4.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य में से, 3.79 करोड़ घर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 3.31 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 2.69 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए पांच प्रतिशत लक्ष्य आरक्षित हैं, जिसमें सुनामी और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के मामले में परिवारों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन के लिए राज्यों को लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं।

****